न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम्, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 36 / 2026
महिला थाना काण्ड संख्या– 70 / 2025

	1. मीना देवी, 2. शिव शंकर मुखिया, 3. राधे मुखिया, 4. मंडिका देवी, 5. सुन्दर मुखिया, 6. पुनम देवी, 7. दिनेश मुखिया.....आवेदकगण **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
09/04/26	प्रार्थी अभियुक्त मीना देवी, शिव शंकर मुखिया, राधे मुखिया, मंडिका देवी, सुन्दर मुखिया, पुनम देवी, दिनेश मुखिया की ओर से महिला थाना काण्ड सं0 70 / 2025 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप में केवल धारा 64, 309(4)(1) BNS का आरोप गैरजमानतीय है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि सूचिका बालिग है तथा सह–अभियुक्त करण कुमार नाबालिग है तथा उसका उम्र करीब 16 वर्ष है जिस पर सूचिका द्वारा जबर्दस्ती बलात्कार करने का आरोप लगाया है। सूचिका एवं उसके परिवार के लोगों के द्वारा प्रार्थीगण पर नजायज दबाव बनाने व सूचिका की शादी नाबालिग करण कुमार से करवाने हेतु दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद सूचिका खुशबू कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण सहित कुल 9 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 64,309(4),115(2),352, 329(2)351(2)(3),3(5) BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूकिका कथन है कि वो अपने घर से लखीचन्द्र साहु उत्कमित उच्चतर माध्यमिल विद्यालय हरीरहा पढ़ने जाया करती थी। करीब 07–08 माह पहले सूचिका विद्यालय से शाम 04बजे वापस घर आ रही थी कि रास्तें भगवती स्थान के निकट बांस बिट्टा के पास पहुँचा कि सुनसान जगह पाकर अभियुक्त करण कुमार जान से मार देने की धमकी देकर हथियार के बल पर उसे बांसबि्टा के बगल में ले जाकर जबर्दस्ती अवैध शारीरिक संबंध बनाया और बोला कि किसी को बताना मत नहीं तो जान से मार देंगे और तुम्हारे भाई को भी गोली मार देंगे। उसके बाद बोला कि तुमसे शादी करेंगे। अभियुक्त करण कुमार ने सूचिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ ब ार एवं घर के बाहर भी यौन शोषण करता रहा जिस कारण सूचिका गर्भवती हो गयी। सूचिका जब इस बात की जानकारी अभियुक्त को दी तो बोली की जल्दी शादी करो। इसी क्रम में	**लगातार..**

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 36 / 2026
महिला थाना काण्ड संख्या– 70 / 2025

09/04/26 **लगातार**	अभियुक्त करण कुमार एवं अन्य सह अभियुक्तगण ने सूचिका को अपने घर में बुलाकर कहा कि यह बात किसी से मत बताओ, तुम अपना गर्भपात करा लो, उसके बाद करण कुमार से तुम्हारी शादी करवा देंगे। सूचिका गर्भपात कराने को तैयार नहीं हुई एवं सारी घटना अपने माता पिता एवं परिवार के लोगों को बताई तो पुरे गांव में हल्ला हो गया। इस बात को लेकर गांव में पंचायत हुई, पंचों के सामने करण कुमार एवं उसके माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए परंतु उसके बाद समय लेते रहे और आज कल करते हुए काफी समय बीता दिए। इसी क्रम में अभियुक्त भोला मुखिया, मीना देवी, राधे मुखिया, मंडिका देवी, शिवशंकर मुखिया, सुन्दर मुखिया, पुनम देवी एवं दिनेश मुखिया सभी एकजूट होकर लाठी, डंडा, रॉड लेकर गाली देते हुए सूचिका के आंगन घुस गये। सूचिका डर से भाग गयी और सूचिका के माता पिता, दादा–दादी को मारपीट किया और घर का सारा सामान लूट कर ले गया। दिनेश मुखिया बोला कि केश करोगी तो गोली मार देंगे, करण कुमार ने जो किया, सही किया। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा सह–अभियुक्त करण कुमार के द्वारा जबर्दस्ती अवैध शारीरिक संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर बराबर संबंध बनाने एवं गर्भवती करने एवं सूचिका द्वारा शादी का दबाव बनाने पर सूचिका के परिवार के साथ मारपीट करने एवं गाली गलौज करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। सूचिका ने अपने पुनः बयान (पैरा–2) तथा अन्य साक्षियों ने अपने–अपने बयानों (पैरा– 3 एवं 16) में घटना का समर्थन करते हुए प्रार्थी अभियुक्तगण की उसमें संलिप्तता का स्पष्ट वर्णन किया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 53 में सूचिका / पीड़िता ने अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान में भी घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन की है। कांण्ड दैनिकी की कंडिका 43 में वर्णित मेडिकल रिपोर्ट से भी घटना एवं प्राथमिकी का समर्थन होता है। यद्यपि कि अब तक के प्राप्त काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास वर्णित नहीं है परंतु अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा लगाया गया आरोप जघन्य प्रकृति का है तथा वाद अभी अनुसंधानाधीन है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की जघन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त मीना देवी, शिव शंकर मुखिया, राधे मुखिया, मंडिका देवी, सुन्दर मुखिया, पुनम देवी, दिनेश मुखिया की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	